

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 2245 / FP/UK/ROAD/30064/2017 देहरादून: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधेरे से खेती जखेट चौरासैण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.410 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधेरे से खेती जखेट चौरासैण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी-FP/UK/ROAD/30064/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
5. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर, चमोली।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधेरे से खेती जखेट चौरासैण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.410 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, गोपेश्वर में 1.20 है० पंचायत वन भूमि, 0.21 है० राजस्व वन भूमि अर्थात् कुल 1.41 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, गोपेश्वर तथा निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम:

(विनोद कुमार भा.व.सं.)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
Addl. P.C.C.F./N.O.
Land Survey Directorate
Dehradun

सरकारी मोहर:

तिथि : 29 / 12 / 2017

स्थान : देहरादून